Seventeenth Loksabha

p>

Title: Regarding Need to facilitate establishment of new Ethanol Plants in Maharashtra- laid - Laid

श्री सदाशिव किसान लोखंडे (शिर्डी): मैं सरकार का ध्यान महाराष्ट्र राज्य की ओर आकर्षित कर चाहूंगा, जहा देश के गन्ने की खेती दूसरे नम्बर पर होती है। लेकिन, गन्ना उत्पादकों को गन्ने की उपज का सही भाव नहीं मिल पाता है तथा आज भी उनका गन्ना मिलों पर काफी रुपया बकाया पड़ा हुआ है। आज स्थिति यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व महाराष्ट्र राज्य में जिन सहकारी चीनी मिलों की स्थापना मात्र 2 से 5 करोड़ रू० का लागत में की गई थी, आज वे चीनी मिलें राज्य सरकार के सहयोग से जिला सहकारी बैंकों द्वारा उन्हें दिए गए कई-कई सौ करोड़ रू० कर्ज में डूबी हुई है।

सरकार को यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि महाराष्ट्र राज्य में एथेनॉल के उत्पाद के लिए 25 कि.मी. का दायरा निश्चित किया गया है और गन्ना उत्पादकों को 2500 रुपये प्रति टन का भाव दिया जा रहा है। जबकि चीनी मिलें गन्ने से चीनी के अलावा अन्य उत्पाद यथा - एल्कोहल, रसायन, अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत इत्यादि भी तैयार करती है। लेकिन, इसका फायदा गन्ना उत्पादकों को नहीं मिलता है। अतः 25 कि.मी. का दायरा हटाकर किसानों को ओपन मार्केट की तरह अपना गन्ना बेचने हेतु कदम उठाने पर उन्हें गन्ने का भाव 2500 रूपये प्रति टन के स्थान पर 3000 हजार प्रति टन मिल सकगा और महाराष्ट्र राज्य में जो सहकारी चीनी मिलें करोड़ों रुपये के कर्ज में डबी हई हैं, वे गन्ना किसानों को एथेनॉल के उत्पाद का सही भाव किसी भी स्थिति में नहीं दे सकेगी। इसीलिए, 25 कि.मी. की परिधि की सीमा को हटाकर एथेनॉल के उत्पाद हेतु नए संयंत्र, जो 50 करोड की लागत में स्थापित किए जा सकते हैं, स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।

मेरा अनुरोध है कि एथेनॉल के उत्पादन को बढ़ाए जाने के लिए महाराष्ट्र राज्य में जहां गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, के गन्ना किसानों के हित में राज्य सरकार की बिना अनुमति के एथेनॉल के नए प्लांट स्थापित किए जाने और भारतीय तेल कंपनियों के माध्यम से एथेनॉल की सीधे खरीद किए जाने की अनुमति प्रदान करने हेतु सकारात्मक कदम उठाए जाएं।